भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ / **Integrated Regional Office, Chandigarh**

F.No. -: 9-HRB160/2021-CHA **दिनांक: 07-02-2022**

सेवा में,

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन),
हरियाणा सरकार,
हरियाणा सिविल सचिवालय,
चण्डीगढ – 160001
(email: fcforest@hry.nic.in)

विषयः- Diversion of 0.0488 ha of forest land in favour of Sh. Sajjan Gupta S/o Sh. Hari Ram Gupta for access to Motel with Benquet Facility through Sh. Sajjan Gupta S/o Sh. Hari Ram Gupta on Delhi-Hisar road NH-09 (New NH 10) at km. 159.070 L/side, in Village Kutubpur, under forest division and District Hisar, Haryana (online proposal no. FP/HR/Approach/142966/2021)-regarding.

संदर्भ (i) State Government online proposal received on dated 12.10.2021
(ii) अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (FCA) व नोडल अधिकारी, हरियाणा सरकार के पत्र क्रमांक प्रशा-डी-तीन-10040/6210 दिनांक 17.01.2022.

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय से से संदर्भांकित पत्र का अवलोकन करें, जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा- 2 के अधीन केन्द्रीय सरकार की अनुमति मांगी गई है | इस प्रस्ताव में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक **15.12.2021 द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति** प्रदान की गई थी, जिसकी अनुपालना रिपोर्ट अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (FCA) व नोडल अधिकारी के पत्र क्रमांक प्रशा-डी-तीन-10040/6210 दिनांक 17.01.2022 **(ऑनलाइन पोर्टल)** द्वारा प्राप्त होने के उपरान्त केन्द्र सरकार द्वारा उपर्युक्त उद्देश्य हेतु **0.0488** हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग हेतु **स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर प्रदान की जाती है:--‘

i. वन भूमि की विधिक स्थिति बदली नहीं जाएगी।

ii. प्रस्ताव के अनुसार कम से कम पौधें काटे जायेगें और काटे जाने वाले पौधों की संख्या 02 से अधिक नहीं होगी |

iii. प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार **Comp No. H43Q8, Mali Minor Abandoned,** में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त **1,66,430/-** रूपये ***(Rupees one lakh sixty six thousand four hundred & thirty only)*** से **100** पौधें लगाकर किया जायेगा|

iv. अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार **Comp No. H43Q8, Mali Minor Abandoned,** में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त **6,052/-** रूपये ***(Rupees six thousand & fifty two only)*** से **04** पौधें लगाकर किया जायेगा|

v.

vi. **प्रतिपूर्ति पौधारोपण और अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर हो जाना चाहिए।**

vii. **राज्य सरकार प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि को गैर वानिकी कार्यो के लिए हस्तानान्तरण से पूर्व स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधारोपण (CA) क्षेत्र की KML फाइल को भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI) के E-Green Watch पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करेगी।**

viii. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।

ix. जब कभी भी NPV की राशि बढाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी |

x. साथ लगते वन और वन भूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पंहुचाया जायेगा और साथ लगते हुए वन और वन भूमि को बचाने के लिये सभी प्रयत्न किये जायेंगे|

xi. स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा |

xii. केन्द्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जायेगा |

xiii. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों के अनुसार पर्यावरण संरक्षण किया जायेगा |

xiv. कूड़ा कर्कट निपटान जारी योजना के अनुसार किया जायेगा |

xv. अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीव का संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास के लिए समय – समय पर लगाई जा सकती है |

xvi. यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता एजेंसी व राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।

3. मंत्रालय इस स्वीकृति को स्थगित/रद्द कर सकता है यदि उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं है। ***राज्य सरकार वन विभाग के माध्यम से इन शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगी।***

भवदीय,

हस्ता/-
(सी० डी० सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी, MoEF&CC

प्रतिलिपि:-

1. अपर वन महानिदेशक (वन), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग़, अलीगंज, नई दिल्ली।(adgfc-mef@nic.in)

2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा सरकार, C-18, वन भवन सैक्टर 6, पंचकुला हरियाणा | (e-mail: pccf-hry@nic.in)

3. The CEO, CAMPA Haryana, Government of Haryana, Forest Department Haryana, Van Bhawan, Sector-6, Panchkula, Haryana (haryanacampa@gmail.com)

4. Divisional Forest Officer, Forest Division & District Hisar, Haryana (dfohisar.t@gmail.com)

5. MOTEL WITH BANQUET FACILITY AT HANSI, Village Kutubpur Hansi District Hisar (sajjanmotel@gmail.com).

Signed by C D Singh
Date: 07-02-2022 17:29:02
Reason: Approved